

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५२

रीवा दिनांक : ३-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

पूर्व नाम – अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2019–20 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15–04–2021 के आइटम क्रमांक 07 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2019–20 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1	एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)–60–60–60सीट।

नोट –

- बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2019–2020 तक की प्रस्तुत करें।
- कालेज कोड–28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2020–2021 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव २१/६/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५६

रीवा, दिनांक : ५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

श्री रामाकृष्णा कालेज आफ एजूकेशन, सतना (म.प्र.)

विषय :- महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम बी.एससी.बी.एड. में सीट संख्या में वृद्धि बावत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सीट वृद्धि हेतु एनसीटीई के आदेश F.No. WRC/ APP201660195/ 10948/ B.Sc.B.Ed.(Addl.)/ MP/ 279th/ 2017/ 188830 दिनांक 23-8-2017 के अनुक्रम में, विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-05-2021 के आयटम क्रमांक 4 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार श्री रामाकृष्णा कालेज आफ एजूकेशन, सतना (म.प्र.) को बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 100+50=150 सीट सत्र 2021-2022 से मान्य की जाती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव ५.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- प्राचार्य, श्री रामाकृष्णा कालेज आफ एजूकेशन, सतना (म.प्र.)।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार अधिसूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

५.६.२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५९

रीवा दिनांक : ८-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)
पूर्व नाम – अरुण तिवारी समृद्धि महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-२०२० के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर २०२० के निर्णय के अनुक्रम में प्राचार्य द्वारा दिया गया शपथपत्र दिनांक ०६-०५-२०२१ के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक ०६-०५-२०२१ एवं १७-०५-२०२१ के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
१	एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) -६०-६०-६०सीट।

नोट –

- बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2020-2021 तक की प्रस्तुत करें।
- कालेज कोड-२८ के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव नं. ६२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३८०

रीवा दिनांक : ८-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
शारदा देवी महाविद्यालय
त्योथर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/सबद्धता/2020 दिनांक 1-६-2020 एवं पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/सबद्धता/2020 दिनांक 18-६-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-२०२० के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसंबर २०२० के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
१.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य (अतिरिक्त विषय), भूगोल, अर्थशास्त्र-120सीट।
२.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – आधार पाठ्यक्रम, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र (अतिरिक्त विषय), वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र-120सीट।
३.	पी.जी.डी.सी.ए.–60सीट।

नोट –

- कालेज कोड २८ के अन्तर्गत सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- महाविद्यालय के पुस्तकालय में सभी संचालित पाठ्यक्रमों के सभी विषयों की दस-दस पुस्तकें संधारित करें।
- कम्यूटर लैब को सुव्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव ८-६-२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
८-६-२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 353

रीवा, दिनांक : 10-6-2021

अधिसूचना

प्राचार्य, एम.आई.टी. कालेज, मऊगंज, जिला रीवा के पत्र क्रमांक/03/07 दिनांक 22-3-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15-04-2021 के आइटम क्रमांक 03 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की घारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, एम.आई.टी. कालेज, मऊगंज, जिला रीवा की बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार
कुलसचिव १५.४.२१

प्रतिलिपि रूचनार्थ –

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, एम.आई.टी. कालेज, मऊगंज, जिला रीवा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / विकास / 2021 / 361
प्रति,

रीवा दिनांक: - 11-6-2021

प्राचार्य,
श्री दयाराम शिक्षा महाविद्यालय, सेमरिया,
जिला-रीवा (म0प्र0)

विषय—अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 बाबत।

विषयात्मक लेख है कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.06.2021 के आइटम क्रमांक-2(1) की अनुशंसा तथा माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा-15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	कक्षा / विषय
1.	बी0ए0 प्रथम वर्ष-आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-60+60 सीट।

नोट:-

- कालेज कोड-28 के अन्तर्गत संबंधित विषयों के शिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करें।
- महाविद्यालय के पुस्तकालय में संचालित पाठ्यक्रमों के सभी विषयों की स्तरीय प्रकाशन की पुस्तकें संधारित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें, अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन, सलपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा (म0प्र0)
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
- उप कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव को निज सहायक
- प्रभारी, एम0पी0 ऑनलाइन, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३६२

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय
सिरमोर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/सबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/सबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं हिन्दी-60-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव ११.६.२१

प्रतिलिपि सूचनाथं –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एल्गोरिदम, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
11.6.2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 363

रीवा दिनांक : 14-6-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

श्री मंगलम महाविद्यालय

रतनगढ़ा, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466 / रा.स. / यू.ए.-3 / 2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1132 / 34 / आउशि / संबद्धता / 2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1236 / 34 / आउशि / संबद्धता / 2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र-60-60-60सीट।
2.	बी.एससी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र-60-60-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में सभी संचालित पाठ्यक्रम / विषयों की 10-10 पुस्तकें संधारित करें।
- साइंस लैब को सुव्यवस्थित करें।
- खेल के मैदान को सुव्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को मेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 11.6.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एज्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

110612
सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३६४

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
संकल्प महाविद्यालय
शकर मंदिर रोड, अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अरथायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-2020 के आइटम क्रमांक ७ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अरथायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
१.	बी.एससी, प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, माइक्रोबायलजी, बायोटेक्नालजी, बाटनी, (अतिरिक्त विषय), रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र-प्रतिसमूह-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।
- खेल मैदान विकसित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतियेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
३

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 365

रीवा दिनांक : 14-6-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

महात्मा गांधी महाविद्यालय

बनोली, शाहपुर बैंडन, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15-04-2021 के आइटम क्रमांक 2(2) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-80सीट।
2.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, कमेस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस, जुलाजी-80सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- कम्प्यूटर की संख्या में वृद्धि करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

11.6.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
11/06/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/366

रीवा, दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

आई.जी. ग्रुप ऑफ डिग्री कालेज
पड़ोनिया, जिला सिंगरीली (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/आई.जी./कोड-28/12/2021 दिनांक 15-3-2021 एवं पत्र क्रमांक/आई.जी./कोड-28/14/2021 दिनांक 18-3-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-04-2021 के आइटम क्रमांक 05 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 31-05-2021 के अनुसार नियमानुसार किया जाता है -

1. डॉ. शैल सिंह - प्राचार्य
2. डॉ. शिव ब्रत सिंह - सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र

उपर्युक्त नियुक्त प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 31-05-2021 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव १५.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, आई.जी. ग्रुप ऑफ डिग्री कालेज, पड़ोनिया, जिला सिंगरीली (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - विकास, परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
5. वित्त विभाग
6. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
8. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
१५.६.२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३६७

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

महात्मा गांधी कालेज आफ कामरा एण्ड साइन्स
नागोद, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभदन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कम्प्यूटर, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य-280सीट।
2.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्यूटर, बाटनी, जुलाजी, बायोटेक-130-130सीट।
3.	बी.का.म. आनंद प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-180सीट।
4.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।
5.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं को उपकरणों से सुसज्जित करें।
- पुस्तकालय हेतु पृथक से कक्ष निर्धारित कर उसे Shift करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतियोगिन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,




कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)



अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 368
प्रति.

रीवा दिनांक : 14-6-2021

अध्यक्ष / प्राचार्य
सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय
निराला नगर, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठाकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में दित्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशासा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.सी.ए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय – 120–120सीट।
2.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष – आधार पाद्यक्रम, गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वायोटेक्नालॉजी – 120–120सीट।
3.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन – 120–120सीट।
4.	बी.ए आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष – हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र – 320सीट।
5.	एम.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय वर्ष – 60सीट।
6.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष – आधार पाद्यक्रम, संस्कृत, गणित, (कम्प्यूटर एप्लीकेशन मात्र प्रथम वर्ष) – 60सीट।
7.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध – वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित – प्रति विषय – 30सीट।
8.	एम.काम. पूर्वार्द्ध – मैनेजमेन्ट – 60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कलमचित् तिकामा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 365

रीवा दिनांक : 14-6-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

विन्ध्या इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस (VIMS)
करही रोड, अमौथा, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशासा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
2.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
3.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - प्लेन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
4.	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
5.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष प्लेन - बायोटेक, बाटनी, रसायन, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर, भौतिक, गणित-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत समुचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला को और व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का काल करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 14.6.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
14.06.2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५४
प्रति,

रीया दिनांक : ११-६-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
श्रीगुरु महाविद्यालय, गगोव
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-05-2021 के आइटम क्रमांक 2(1) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम-दो यूनिट-100सीट।

नोट –

- एन.सी.टी.ई. नाम्स / कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरक्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीया।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूनिकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५५

रीवा दिनांक : ११-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

टाटा कालेज, जमोड़ी खुर्द
सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15-04-2021 के आइटम क्रमांक 2(1) की अनुशासा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध भूगोल, हिन्दी-35-35सीट।
2.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान-30-30सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला, पुस्तकालय समृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

११.६.२१

श्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा समाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सवित।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
११.६.२०२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५६

रीवा दिनांक : ११-६-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय
निराला नगर, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-२०२०, आधुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-२०२० एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-२०२० के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-२०२० के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर २०२० के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र २०२०-२०२१ कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. (आनसे) तृतीय वर्ष हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र।
2.	बी.ए. (सामान्य) तृतीय वर्ष संस्कृत, गणित।
3.	एम.एससी. उत्तरार्द्ध वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित।
4.	एम.काम. उत्तरार्द्ध मैनेजमेन्ट।

नोट –

- कालेज कोड २८ के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र २०२१-२०२२ से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आधुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियन्त्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३५७

रीवा दिनांक : ११-६-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

संकल्प महाविद्यालय
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-२०२० के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसंबर २०२० के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र २०२०-२०२१ कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
१.	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष बायोटेक्नालॉजी, माइक्रोबायलॉजी, बाटनी, (अतिरिक्त विषय) रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र।

नोट –

- कालेज कोड २८ के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।
- खेल मैदान विकसित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र २०२१-२०२२ से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

११.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- दिभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

३

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ३५८
प्रति.

रीवा दिनांक : ११-६-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
संकल्प महाविद्यालय
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-05-2021 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 7 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एससी. प्रथम वर्ष मैथमेटिक्स, फिजिक्स-60सीट।
2.	बी.काम. प्रथम वर्ष कमर्स के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60सीट।
3.	बी.बी.ए. प्रथम वर्ष-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- कम्प्यूटर लैब को और उन्नत करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों में यूद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसुम चिव्डे ११.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा रामभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराये।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

रघवेन्द्र कुलसचिव (विकास)
1061200

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ३५९

रीवा दिनांक : ११-६-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

आई.जी. गुप्त आफ डिग्री कालेज
ग्राम पड़ेनिया, जिला सिंगरीली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक ७ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बायोटेक्नालॉजी, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र-150सीट।
2.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र, इतिहास-प्रतिसमूह-120सीट।
3.	बी.काम. प्रथम वर्ष समस्त, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रतिसमूह-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।
- खेल मैदान विकसित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव ११.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
11.6.21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/३७।

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, विजुरी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-४-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-६-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-६-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-०७-2020 के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
१.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र।
२.	बी.एस.सी. प्रथमवर्ष भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, बनरपतिशास्त्र, गणित।
३.	बी.का.म. समस्त अनिवार्य विषय।

नोट –

- पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की समुचित व्यवस्था करें।
- समुचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव ११.६.२१
३४८

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सडायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
३४८

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३७२
प्रति,

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
नेहरू स्मारक महाविद्यालय
बाकघाट, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुका, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की रखाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	एम.ए. पूर्वोर्द्ध/उत्तरोर्द्ध – हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास सरकृति एवं पुरातत्व-50-50सीट।
2.	विधि भाग 1,2,3 – निर्धारित विषय-80-80सीट।

नोट –

- बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2019–2020 तक की प्रस्तुत करें। बी.सी.आई. की मान्यता के अभाव में छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
- बी.सी.आई. नाम्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का काष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रयोग बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ली और वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

आदेशानुसार
कुलसचिव
१५.६.२१

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३७३
प्रति.

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य
श्रीयुत महाविद्यालय, गगेव
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/सम्बद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा एवं कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 07-06-2021 के अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, गणित, संगीत, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट प्रत्येक विषय समूह।
2	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भूविज्ञान, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, सारियकी, कम्प्यूटर विज्ञान-120-120 सीट प्रत्येक विषय समूह।
3	बी.काम. भाग 1,2,3 – सभी अनिवार्य विषय (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट प्रत्येक विषय समूह।
4	विधि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।
5	बी.लिब., एम.लिब. – समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
6	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
7	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित-40-40सीट प्रत्येक विषय में।
8	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान-40-40सीट प्रत्येक विषय में।
9	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – एकाउन्ट एवं मैनेजमेन्ट-40-40सीट।
10	बी.पी.एड.-50सीट।
11	एलएल.एम. प्रथम, द्वितीय वर्ष-15-15सीट।
12	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-40सीट।

आदेशानुसार,
कुलसचिव
15.6.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ३७५

रीवा दिनांक : १५-६-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

राजीव गांधी महाविद्यालय

बैठन, जिला सिंगराँली (म.प्र.)

विषय – अख्यायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 15-6-2021 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अख्यायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अनिवार्य विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्सोसन (अतिरिक्त विषय)–120-120-120सीट।
2	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, बाटनी, जीवविज्ञान, बायोटेक्नालाजी (अतिरिक्त विषय)–120-120-120सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–120सीट।
4	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध–40सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष सहायक प्राध्यपकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव १५.६.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 375

रीवा, दिनांक : 15-6-2021

प्रति,

आध्यक्ष

शासी निकाय

राधाकृष्ण मीरा कान्वेन्ट कालेज

रामपुर चौरासी, सतना (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत व्याख्याता की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / RKMC/B.Ed./2020-21/81 दिनांक 02-03-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत व्याख्याता की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-04-2021 के आइटम क्रमांक 06 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 31-05-2021 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. श्री सन्दीप त्रिपाठी - व्याख्याता संगीत

उपर्युक्त नियुक्त व्याख्याता के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी हारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 31-05-2021 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,
कुलसचिव 14.6.21


प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
- प्राचार्य, राधाकृष्ण मीरा कान्वेन्ट कालेज, रामपुर चौरासी, सतना (म.प्र.)।
- आधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव - विकास, परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
- वित्त विभाग
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 376
प्रति,

रीवा दिनांक : 15-6-2021

अध्यक्ष / प्राचार्य
वितरणी डिग्री कालेज, चितरंगी
जिला सिंगरोली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08-06-2021 के आइटम क्रमांक 2(2) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-120सीट।
2.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कमेस्ट्री, बाटनी, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेकनालॉजी-180सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. विषय से संबंधित 500 पुस्तकें क्रय करें।
3. प्रयोगशाला में कमेस्ट्री/बाटनी/बायोटेक से संबंधित उपकरणों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधीक्षितकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

15.6.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, न.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा रामाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
5. वित्त नियंत्रक।
6. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
7. कुलपति जी के सचिव।
8. कुलसचिव के निज सहायक।
9. ग्रामार्थी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
15.06.2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 377

रीवा दिनांक : 15-6-2021

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय
मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास –40–40सीट।
2.	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – समस्त अनिवार्य विषय–40–40सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. महाविद्यालय में कम्प्यूटर्स की समुचित व्यवस्था करें।
3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
4. क्रीड़ा सामग्री एवं क्रीड़ागांगन की समुचित व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलचिंत्य


प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु भ्रेपित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
